



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

27 भाद्र 1937 (श०)

(सं० पटना 1074) पटना, शुक्रवार, 18 सितम्बर 2015

वाणिज्य—कर विभाग

अधिसूचनाएं

18 सितम्बर 2015

एस0ओ0 263, दिनांक 18 सितम्बर 2015—केन्द्रीय बिक्री—कर (बिहार) नियमावली, 1957 के नियम—९सी के उप—नियम(13) के तहत प्रदत्त शवितयों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित निर्बंधित व्यवसायी को निर्गत प्रपत्र 'एफ' को अवैध घोषित करते हुए रद्द किया जाता है एवं सर्वसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है—

1.	मेसर्स इन्फ्रा इक्युप प्रा० लि० वैट टिन—10050389027 सी०एस०टी० टिन—10050389124	क्रमांक BG/F-230240 से BG/F-230354 (कुल पन्द्रह पन्ने)
2.	प्रपत्र निर्गत करने वाले पदाधिकारी का पदनाम।	वाणिज्य—कर उपायुक्त, पाटलीपुत्र अंचल, पटना।
3.	प्रपत्र रद्द करने का कारण	घोषणा प्रपत्रों का खो जाना।
4.	प्रपत्र रद्द करने का उद्देश्य	दुरुपयोग की रोकथाम।
5.	प्रपत्र के अमान्य होने की तिथि	वाणिज्य—कर कार्यालय द्वारा निर्गमन की तिथि से।

(सं०सं० बिक्री—कर / रद्द—15 / 2014—5498)

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,

सुजाता चतुर्वेदी,

वाणिज्य—कर आयुक्त—सह—प्रधान सचिव।

18 सितम्बर 2015

एस0ओ0 264, एस0ओ0 263, दिनांक 18 सितम्बर 2015 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार—राज्यपाल के आदेश से प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में इसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं०सं० बिक्री—कर / रद्द—15 / 2014—5499)

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,

सुजाता चतुर्वेदी,

वाणिज्य—कर आयुक्त—सह—प्रधान सचिव।

The 18th September 2015

S.O. 263, dated the 18th September 2015—In exercise of the power conferred by the sub-rule (13) of Rule 9C of the Central Sales Tax (Bihar) Rules, 1957, the declaration form “F” issued to the following registered dealer are being cancelled and declared invalid and hereby published for general information—

Particulars of the Declaration Forms

1.	M/s. Infra Equip Pvt. Ltd. VAT TIN - 10050389027 CST-TIN -10050389124	Sl. No.- BG/F-230340 to BG/F-230354 (Total fifteen Forms)
2.	Designation of the officer who issued the form	Deputy Commissioner of Commercial Taxes, Patliputra Circle, Patna.
3.	Reason for cancellation of form	Due to Loss of Form.
4.	Purpose for cancellation of forms	Prevention of misuse.
5.	Date from which declared invalid	From the date of issue by the Commercial Taxes office.

(F.No. Bikari-kar/Radd-15/2014—**5498**)

By order of the Governor of Bihar,
SUJATA CHATURVEDI,
Commissioner-cum-Principal Secretary,
Commercial Taxes Department.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 1074-571+10-डी०टी०पी०।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>